भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 2153
दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिल प्रवासियों का कल्याण

2153. **श्री थरानिवेंथन एम. एस.:**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा श्रीलंका, मलेशिया और मध्य पूर्व जैसे देशों में रहने वाले तमिल प्रवासियों के हितों और कल्याण की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या मंत्रालय तमिलनाडु सरकार के साथ विदेशों में तमिल प्रवासियों या सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रभावित करने वाले मामलों पर परामर्श या समन्वय करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु और अन्य देशों के बीच और विशेषकर वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) विदेशों में संकट का सामना कर रहे तमिल श्रमिकों के प्रत्यावर्तन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विदेशों में तमिलों की विशिष्ट आवश्यकताओं और मुद्दों के बेहतर समाधान के लिए मंत्रालय के भीतर एक समर्पित तमिल प्रवासी प्रकोष्ठ स्थापित करने का विचार है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) विदेशों में निवास करने वाले प्रवासी भारतीयों के हितों और उनके कल्याण की रक्षा करना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार के पास विश्व भर में मौजूद विशाल प्रवासी भारतीयों, चाहे वे किसी भी भारतीय राज्य से संबंधित हों, के साथ जुड़ने और उनके हितों एवं कल्याण की रक्षा करने के लिए एक मज़बूत नीतिगत ढाँचा मौजूद है।
भारत सरकार तमिल प्रवासियों को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों पर, विशेष रूप से श्रीलंका, मलेशिया और पश्चिम एशिया जैसे तमिल प्रवासियों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में, कड़ी नज़र रखती है और भारतीय दूतावासों एवं कोंसलावासों के माध्यम से उनके कल्याण संबंधी चिंताओं का समाधान करती है। प्रभावित व्यक्तियों को, विशेष रूप से कानूनी, श्रम और आव्रजन संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु, प्राथमिकता के आधार पर कोंसली सहायता प्रदान की जाती है। इन देशों में स्थित भारतीय दूतावास और कोंसलावास, तमिल प्रवासियों की विशिष्ट शिकायतों के समाधान हेतु स्थानीय प्राधिकारियों और तमिल समुदाय संघों के साथ भी घनिष्ठ समन्वय रखते हैं।

(ख) भारत सरकार विश्व भर में इसकी प्रवासी सहभागिता नीतियों से संबंधित मामलों पर सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय करती है। यह नियमित रूप से भारत की राज्य सरकारों के साथ विदेश संपर्क कार्यक्रम (वीएसपी) आयोजित करती है और सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ नियमित संपर्क में रहती है। इस प्रकार के संपर्क भारत सरकार को प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ परामर्श और समन्वय बनाने में सक्षम बनाते हैं। तमिलनाडु

सहित राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोधों की जाँच की जाती है और विदेशों में संबंधित भारतीय दूतावासों और कोंसलावासों के साथ समन्वय करके उन पर कार्रवाई की जाती है।

(ग) वीएसपी के अंतर्गत राज्य सरकारों के साथ भारत सरकार की चर्चा के दौरान, विदेशों में राज्य के वाणिज्यिक उद्यमों के लिए व्यापार और निवेश के अनेक अवसर प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, विदेश स्थित भारतीय दूतावास और कोंसलावास, तमिलनाडु सहित राज्य सरकारों को भारतीय राज्यों और संबंधित देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता करते हैं। यह मंत्रालय भारतीय राज्यों के व्यापारिक और आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्राओं, विदेशों में बी2बी बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और निवेशक शिखर सम्मेलनों, विशेष रूप से वस्त्र, सूचना प्रौद्योगिकी और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए भी सहयोग प्रदान करता है।

(घ) भारत सरकार ने विदेशों में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किए हैं। भारतीय मिशन और केंद्र, संकटग्रस्त/फँसे हुए भारतीयों को भोजन, आश्रय, दवाइयाँ प्रदान करके और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें भारत लाकर, चाहे वे किसी भी राज्य के हों, सक्रिय रूप से मदद करते हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन सिंधु हाल के वर्षों में शुरू किए गए कुछ ऐसे अभियान हैं जिनके माध्यम से भारत सरकार ने क्रमशः अफ़ग़ानिस्तान, यूक्रेन, सूडान, इज़राइल और ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है।

(ङ) यद्यपि इस मंत्रालय ने राज्य/क्षेत्र-विशिष्ट प्रवासी प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की है, फिर भी संबंधित प्रभागों और दूतावासों/कोंसलावासों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों का शीघ्रता से समाधान किया जाता है। इस मंत्रालय ने प्रवासी भारतीयों की बड़ी आबादी वाले देशों में भारतीय दूतावासों और कोंसलावासों में समर्पित और सुप्रशिक्षित सामुदायिक कल्याण अधिकारियों को भी तैनात किया है ताकि प्रवासी भारतीयों से संबंधित मुद्दों का उनकी भाषाई और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए निपटान किया जा सके।

*****